न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 190/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
लक्ष्मणदास पुत्र प्रेमदास जाति साद निवासी बिठू तहसील रोहट जिला पाली		1–जगदीशराम पुत्र मोडाराम 2–चुन्नीलाल पुत्र भगाराम 3–रामाराम पुत्र धन्नाराम जातियान पटेल निवासीगण बिठू तहसील रोहट जिला पाली 4–गोपाराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी बेरा का बास, तनावडाकलां तहसील लूनी जिला जोधपुर 5–नैनाराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी बेरा का बास, तनावडाकलां तहसील लूनी जिला जोधपुर 6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22–6–2015 जो उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 112/2013 अनवान जगदीशराम बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 4–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरस्ती का अन्तर्गत धारा 127 व 128 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा बिठू तहसील रोहट के खसरा नंबर 256/7 रकबा 15 बीघा आई हुई है जो जमाबंदी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि ग्राम बिठू के खसरा नंबर 256/2 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 256/6 रकबा 15 बीघा है । प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि पूर्व मे खसरा नंबर 256/2 राजस्व नक्शे मे तरमीमसुदा नही था एवं सभी खातेदार अपने अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार मौके

पर काबिज काश्त थे परंतु पटवारी हल्का ने बिना मौके व कब्जें की स्थिति को देखे ही लट्ठा ट्रेस मे तरमीम दर्ज कर दी जो तरमीम पूर्णतया गलत है तथा खातेदारान के कब्जे व मौके की स्थिति से भिन्न है । मौके पर खसरा नंबर 256/6 व 256/7 के मध्य रास्ता है व इसी अनुसार 256/7 भी दो भागो मे बंटा हुआ है तथा रास्ते से डिवाइड है जो रास्ता करीब साठ साल पुराना ग्राम बिठू की आबादी मे से जाता है परंतु पटवारी हल्का द्वारा तरमीम दर्ज करते समय न तो रास्ता दर्ज किया और न ही मौके की स्थिति को देखकर तरमीम दर्ज की इसलिए राजस्व रेकर्ड मे की गई गलत तरमीम को दुरस्त करवाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 111, 114, 127, 128, 129, 131 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2015 के द्वारा ग्राम बिठू के खातेदारी खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 के राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकित तरमीम तथा मौका स्थिति अनुसार खातेदारान के कब्जा स्थिति मे भिन्नता होने के कारण ग्राम बिठू के राजस्व नक्शा लट्ठा मे अंकित खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का बिठू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा दिनांक 2–4–14 द्वारा प्रस्तुत किया है, मे दर्शाये अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश पारित किया तथा नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार मौके पर काबिज अनुसार खातेदारान की तरमीम का अंकन राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे किया जाने के आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22–6–2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 256/7 रकबा 15 बीघा भूमि के क्रेता खातेदार है जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 127, 128 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं आदेशिकाओ की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली दिनांक 5–12–14 तक जवाब मे चल रही थी उसके बाद की आदेशिकाओ से पेशी इल्तवा दिनांक 22–5–15 तक होती रही जिसमे दोनो पक्षो की ओर से अधिवक्तागण पैरवी कर रहे थे । उसके बाद सीलनुमा आदेशिका से पत्रावली को लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत बिठू मे दिनांक 22–6–15 को रखते हुए शिविर मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपीलांट को लोक अदालत केम्प बिठू मे वर्तमान अपीलांट लक्ष्मणदास को बुलाकर खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा कर उसे चले जाने को कहा गया, अपीलांट के सामने न तो कोई आदेश लिखाया गया और न ही सुनाया गया बल्कि बाद मे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन भूमि पर की गई गलत तरमीम को जमाबंदी एवं कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्ती करने का निवेदन किया था परंतु अपीलाधीन आदेश ग्राम बिठू के खातेदारी खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 के राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकित तरमीम तथा मौका स्थिति अनुसार खातेदारान के कब्जा स्थिति मे भिन्नता होने के कारण ग्राम बिठू के राजस्व नक्शा लट्ठा मे अंकित खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का बिठू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा दिनांक 2–4–14 द्वारा प्रस्तुत किया है, मे दर्शाये अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश पारित किया तथा नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार मौके पर काबिज अनुसार खातेदारान की तरमीम का अंकन राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस मे किया जाने के आदेश पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जो अनुतोष चाहा गया था, उससे हटकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है क्योंकि रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र मे राजस्व नक्शें मे तरमीम दुरस्ती करवाने का निवेदन किया था परंतु अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि मे नया रास्ता स्थापित करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 जगदीशराम ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र कब कोर्ट मे पेश किया, प्रार्थना पत्र पर कोई मार्क नही है न ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे तहसीलदार को मौका रिपोर्ट पेश करने का कोई आदेश नही दिया हुआ है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रोहट की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित होना रेकर्ड से नही पाया जाता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब न्यायालय का कोई आदेश मौके की रिपोर्ट पेश करने का था ही नही तो तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 256/6 एवं 256/7 मे पूर्व की तरमीम मे कही कोई रास्ता नही था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के जरिये ऐसी दुरस्ती करने का कोई प्रावधान नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 को रास्ते के लिए धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पेण्डिंग प्रकरण को शिविर मे ले जाकर तरमीम दुरस्ती के नाम पर किये गये नये रास्ते सहित आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित कर दिया तथा अपीलांट द्वारा ऐसी कोई सहमति नही दी जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट की सहमति का उल्लेख कर दिया जबकि अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध इसी भूमि के संदर्भ मे एक वाद उपखण्ड अधिकारी रोहट के न्यायालय मे निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया हुआ है तथा अपीलांटगण अपनी खातेदारी की भूमि पर वर्षो से काबिज है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट के आधार पर तरमीम दुरस्ती करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 सख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2015 का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त सेटलमेंट से मौजा बिठू के खसरा नंबर 256 के 5 बट्टा नंबर डाले गये परंतु तरमीम केवल तीन खसरो मे ही की गई, खसरा नंबर 256/7, 256/2/2 का एक भाग, खसरा नंबर 256/6 व 256/2/1 को दूसरे भाग मे तथा खसरा नंबर 256/2 को तीसरे भाग मे रखा गया । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए राजस्व नक्शा जो दिनांक 27–8–13 को जारी हुआ उसमे उक्त पांच खसरे दर्शाये हुए है परंतु जमाबंदी मे केवल खसरा नंबर 256/2, 256/6 तथा 256/7 तीन खसरे ही दर्शाये हुए होने से नक्शे मे उक्त दुरस्ती करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

तहसीलदार रोहट द्वारा पटवारी हल्का बिठू से मौका वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब कर अपने पत्र दिनांक 2–4–2014 के सलंग्न प्रेषित की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बिठू के खातेदारी खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 के राजस्व नक्शा ट्रेस मे अंकित तरमीम तथा मौका स्थिति अनुसार खातेदारान के कब्जा स्थिति मे भिन्नता होने के कारण ग्राम बिठू के राजस्व नक्शा लट्ठा मे अंकित खसरा नंबर 256/2, खसरा नंबर 256/6 व खसरा नंबर 256/7 की तरमीम को निरस्त कर पटवारी हल्का बिठू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा दिनांक 2–4–14 द्वारा प्रस्तुत किया है, मे दर्शाये अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट के समक्ष तरमीम दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 127 व 128 भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर जो प्रार्थना की है, जो इसप्रकार है – "प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार फरमाया जावे और अप्रार्थी द्वारा मूल खसरा नंबर 256/2 वर्तमान खसरा नंबर 256/2, 256/6 व 256/7 ग्राम बिठू तहसील रोहट जिला पाली की करवाई गई गलत तरमीम निरस्त की जावे एवं तहसीलदार रोहट को आदेश दिया जावें कि जमाबंदी व मौके पर कब्जे अनुसार नये सिरे से पुनः तरमीम की जावे एवं मुटाम कायम किया जावे ।"

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल जमाबंदी व मौके पर कब्जे अनुसार नये सिरे से पुनः तरमीम किये जाने एवं मुटाम कायम किया जाने की प्रार्थना की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रोहट के पत्र दिनांक 2–4–14 के सलंग्न पटवारी हल्का बिठू द्वारा तैयार की गई मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमे खसरा नंबर 256/6 मे रास्ता दर्शाते हुए पेश की है, उसी के अनुसार तरमीम दुरस्ती के आदेश पारित कर दिये, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण एवं अस्पष्ट है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय बिना खातेदार को सुने मात्र तहसीलदार रोहट के पत्र के सलंग्न पटवारी हल्का बिठू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे वर्तमान रेस्पो0 जगदीशराम का प्रार्थना पत्र बाबत पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाने के विषय का अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली मे नत्थी है परंतु उक्त प्रार्थना पत्र कब पेश किया गया, उस पर कोई प्रस्तुतीकरण नही है, न ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब करने का कोई आदेश है, मात्र आदेशिका दिनांक 25–4–14 मे तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाने का उल्लेख अवश्य है ।

वर्तमान प्रकरण मे यह भी उल्लेखनीय है कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 गण ने केवल जमाबंदी व मौके पर कब्जे अनुसार नये सिरे से पुनः तरमीम किये जाने एवं मुटाम कायम किया जाने की प्रार्थना की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रोहट के पत्र दिनांक 2–4–14 के सलंग्न पटवारी हल्का बिठू द्वारा तैयार की गई मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमे खसरा नंबर 256/6 मे रास्ता दर्शाते हुए पेश की थी उसी अनुसार तरमीम दुरस्ती के आदेश पारित कर दिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये तथा अपीलाधीन निर्णय मे रास्ते के बारे मे बिना कोई फाईंडिंग दिये पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रोहट द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–6–2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन विवादग्रस्त भूमि के संबंध मे मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति रिपोर्ट पुनः नये सिरे से तहसीलदार रोहट से तलब करें, अपीलांट एवं अन्य हितबद्व खातेदार पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि अपीलाधीन विवादग्रस्त भूमि मे कोई रास्ता पाया जाता है तो अपने विवेचन के साथ पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 4–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर